फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 285 प्रभात जयपुर, मंगलवार 19 मई, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Rashtradoot Metro

A History Of The Famous Dabba

So fond was the Chettiyar community of the tiffin that soon these carriers became a part of their gifts to the groom, or even to a kid starting school

No Need To Live With Stains

The Inspiration For Sherlock Holmes

'पैट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए'

पैट्रोल-डीज़ल के निरंतर बढ़ते दामों के बीच कांग्रेस ने मांग की

- इधर केन्द्र सरकार का कहना है कि कांग्रेस पैट्रोल-डीज़ल को जीएसटी दायरे में लाने का विरोध करती है और वह तो पैंसिल पर जीएसटी को भी मुद्दा बनाती है तो पैट्रोल-डीज़ल पर कैसे जीएसटी लगाया जाए।
- इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कहा, क्या केन्द्र सरकार ने पैंसिल पर जीएसटी लगाने से पहले कांग्रेस से पूछा था, वैसे भी जीएसटी काउन्सिल साधारण बहुमत के सिद्धांत पर काम करती है तो उन्हें कांग्रेस की सहमति की क्या जरूरत है।
- कांग्रेस के सूत्रों ने कहा, कांग्रेस की असहमति की बात कर केन्द्र सरकार बहाना बना रही है, क्योंकि वह पैट्रोल-डीज़ल से मुनाफा कमा रही है, इसलिए इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। पैट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कांग्रेस ने मांग की है कि पैट्रोल और डीज़ल दोनों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए।

वहीं, सरकार का कहना है कि कांग्रेस इसके लिए सहमत नहीं है।

कांग्रेस का कहना है कि पेंसिल, कागज और लगभग हर चीज पर जीएसटी लगाया गया है, तो क्या सरकार ने पेंसिल पर जीएसटी लगाने से पहले कांग्रेस से सलाह ली थी?

और जीएसटी काउन्सिल साधारण बहुमत के सिद्धांत पर काम करती है।

केन्द्र सरकार और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के पास पूरा बहुमत है, तो फिर उन्हें कांग्रेस की सहमति की जरूरत क्यों है?

वे खुद फैसला ले सकते हैं और उसी के अनुसार निर्णय कर सकते हैं।

कांग्रेस को इस मामले में घसीटना सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि भाजपा सरकारें पैट्रोल और डीज़ल पर जीएसटी नहीं लगाना चाहतीं और इससे पैसा कमा रही हैं तथा फायदा उठा रही हैं। चूंकि जीएसटी काउन्सिल में भाजपा का बहुमत है, इसलिए वह साधारण बहुमत के आधार पर अपनी मर्जी से काम कर सकती है, क्योंकि विपक्ष के पास भाजपा का मुकाबला करने लायक संख्या नहीं है।

कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार, अपनी पुरानी रणनीति के तहत, देश को गुमराह कर रही है।

एसआई भर्ती 2021 की पुनः होने वाली परीक्षा पर याचिका दायर

- हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किया और पूछा, याचिकाकर्ता ने 2021 भर्ती के लिए आवेदन किया, पर किसी कारण यह भर्ती की दोनों परीक्षा नहीं दे पाया। उसे वापस परीक्षा में शामिल क्यों नहीं किया।

जयपुर, 18 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक के कारण रद्द की गई एसआई भर्ती: 2021 में आवेदन कर परीक्षा नहीं देने वालों को आगामी सितंबर माह में होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं करने पर राज्य सरकार और आरपीएससी से 20 मई तक जवाब मांगा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मधुसूदन शर्मा व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने भर्ती की दोनों ही परीक्षाएं नहीं दी। वहीं उन्हें एसआई 2021 की दोबारा होने वाली परीक्षा में यह कहते हुए शामिल नहीं किया जा रहा है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं प.बंगाल में मु.मंत्री शुभेन्दु

तृणमूल सरकार के पुराने कृत्यों की जाँच के लिए एक के बाद एक कई आदेश दिए हैं प.बंगाल की नई भाजपा सरकार ने

- मुख्यमंत्री पार्क सर्कस एरिया में गए और हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले, शुभेन्दु ने साफ कहा कि पुलिस बल पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- असल में जब सरकार ने सड़कों पर नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाई थी तो भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पार्क सर्कस में एकत्रित हुए और वाहनों व लोगों पर पथराव किया। हिंसक भीड़ को रोकने की कोशिश में 5 पुलिसकर्मी व केन्द्रीय बलों के कुछ जवान घायल हो गए थे।

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 18 मई। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार पूरी तेजी से एक्शन मोड में आ गई है। हिंसा का सीधे मुकाबला कर रही है और पूर्व तृणमूल सरकार की गड़बड़ियों की जांच के लिए आयोगों का गठन किया गया है।

स्पष्ट संदेश देते हुए कि बंगाल की नई भाजपा सरकार अपने काम को गंभीरता से ले रही है और पुलिस बलों पर हिंसक हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी, मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने आज कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके का दौरा किया और वहां घायल पुलिसकर्मियों तथा केन्द्रीय बलों के जवानों से मुलाकात की, जो कल इलाके में हुई घटनाओं में घायल हुए थे।

नई सरकार ने मुस्लिम समुदाय द्वारा शहर की सड़कों पर नमाज़ पढ़ने पर रोक लगा दी है। अब तक शहर की प्रमुख सड़कों पर नमाज़ की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता था। पिछले पंद्रह सालों तक ममता बनर्जी सरकार के दौरान यह एक आम प्रथा थी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस तरह का व्यवहार 1951 के कानून के तहत गैरकानूनी था। सरकार ने अब लाउडस्पीकर पर डेसिबल सीमा लगाने वाला पुराना कानून भी फिर से लागू किया है।

प्रतिबंधों का विरोध करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अचानक बड़ी संख्या में पार्क सर्कस की महत्वपूर्ण सात-पॉइंट क्रॉसिंग पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस चौकियों और गाड़ियों पर पत्थर और अन्य चीजें फेंकनी शुरू कर दीं। प्रदर्शनकारियों के पास इस इलाके में इस तरह की बैठक करने की कोई पूर्व अनुमति नहीं थी।

इसके बाद हुई झड़प में कम से कम पांच पुलिसकर्मी और केन्द्रीय बलों के सदस्य घायल हुए और कई बसें और अन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और स्थिति को नियंत्रण में लिया।

सरकार की गंभीरता का साफ संकेत देने के लिए मुख्यमंत्री इस इलाके में मौजूद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (दक्षिण जिला) के दफ्तर में गए। वहां उन्होंने लोगों को चेताया कि हिंसा के जरिए अपने विरोध को आगे न बढ़ाएँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि नई सरकार किसी भी तरह की धमकी या कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आखिर क्यों आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं दक्षिणी राज्य?

विशेषज्ञों के अनुसार, उनकी प्रमुख चिंता परिसीमन को लेकर है, जिसकी वजह से संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है

- परिसीमन में आबादी के आधार पर सीटें तय की जानी हैं, इस आधार पर उत्तरी भारतीय राज्यों, विशेषकर यूपी की सीटें बढ़ जाएंगी।
- आँध्र प्रदेश में चन्द्रबाबू नायडू के अलावा तमिलनाडु में एम के स्टालिन भी घटती आबादी को लेकर काफी मुखर रहे हैं। केरल, तेलंगाना व कर्नाटक से भी ऐसी ही बातें सुनने में आयी हैं।
- इसके साथ ही आरएसएस भी घटती फर्टिलिटी रेट को लेकर चिंतित है तथा ज्यादा बच्चे पैदा करने करने की बात करता रहा है।
- पर मुख्य समस्या यह है कि भारत की आबादी बढ़ रही है, देश के सामने युवा बेरोजगारी का संकट है, इन हालात में ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील चिंताजनक है।

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 18 मई। दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश जिसमें 1.42 अरब लोग हैं, के रूप में भारत को युवा बेरोजगारी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड सकता है। लेकिन केन्द्र में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार के कुछ गठबंधन साझेदार - साथ ही भाजपा से जुड़े संगठन जैसे आरएसएस - गिरती प्रजनन दर का मुकाबला करने के लिए बडे परिवारों की वकालत कर रहे हैं।

भारत की जनसंख्या अगले चार दशकों तक बढ़ती रहने का अनुमान है, लेकिन कुछ नीतिनिर्माताओं और हिंदू समूहों को चिंता है कि देश की कुल प्रजनन दर लंबी अवधि में घट सकती है, जिससे देश की युवा जनसंख्या संरचना पर नकारात्मक प्रभाव पड सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये की एकमुश्त नकद प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया है। उनका तर्क है कि कई देशों में जन्म दर गिरने से आबादी बूढ़ी हो रही है और आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के अन्य दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक नेताओं ने भी यही बात कही है।

छोटे उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम ने भी परिवारों से अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है, और इसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप एक साल के मातृत्व अवकाश, एक महीने के पितृत्व अवकाश और आईवीएफ के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस ने भी बडे परिवारों की वकालत की है और इसे प्राथमिकता बताया है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसाबोले ने पिछले सप्ताह कहा, हम कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। लेकिन धीरे-धीरे प्रजनन दर घट रही है। जनसांख्यिक असंतुलन समस्याएं पैदा करेगा।

आंध्र और अन्य दक्षिणी राज्यों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायत-निकाय चुनाव पर अवमानना की सुनवाई 26 मई को

- अदालत ने कहा, राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग की समय सीमा बढ़ाने के प्रार्थना पत्र पर फैसला सुरक्षित है, अतः अवमानना की सुनवाई टाली जा रही है।

जयपुर, 18 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में अदालती आदेश के बावजूद, 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर 26 मई तक सुनवाई टाल दी है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने ये आदेश गिर्राज सिंह और संयम लोढा की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि मामले में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कराने के लिए तय समय सीमा बढ ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किए गए हैं और उन पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा गए है। ऐसे में मामले की सुनवाई टाली जा रही है।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि अदालत ने प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव कराने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया था। इसके बावजूद, तय समय पर चुनाव नहीं कराए गए। ऐसे में यह अदालती

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बेल नियम है, जेल सिर्फ अपवाद होना चाहिए'

सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं देने के अपने ही फैसले पर संदेह जताया

- कोर्ट ने यह टिप्पणी इफ्तिखार बनाम एनआईए फैसले में अंद्राबी को जमानत देते समय कि, लंबे समय से जेल में बंद अंद्राबी पर आतंकवाद को फंड करने के लिए नशीली दवाओं का कारोबार करने का आरोप है।
- जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान की बैंच ने कहा, गुलफिशा फातिमा बनाम स्टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने के.ए. नजीब बनाम भारत सरकार के मामले में तीन सदस्यीय बैंच के फैसले को ध्यान में नहीं रखा, जिसमें कहा गया था, सुनवाई में देरी हो रही हो तो जमानत देने का आधार बनता है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 मई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि जमानत का नियम होना चाहिए और जेल असाधारण स्थिति, यहां तक कि यूएपीए मामलों में भी। कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में सक्रिय कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत न देने के एक अन्य बैंच के पिछले फैसले पर गंभीर संशय व्यक्त किया (सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जम्मू)।

न्यायमूर्ति बी.वी. नगरथना और उज्ज्वल भूयान की बेंच ने यह टिप्पणी एक कूपवाड़ा निवासी को जमानत देते हुए की, जो जून 2020 से नारको-टेररिज़्म मामले में ट्रायल की प्रतीक्षा में जेल में था, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दर्ज किया था।

ध्यान देने योग्य है कि कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य मामले के फैसले पर आपत्ति जताई। यह फैसला दिल्ली दंगों के आरोपी की जमानत से संबंधित था। इस केस में, जहाँ कई आरोपियों को जमानत दी गई थी, वहीं सक्रिय ऐक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिली थी।

कोर्ट ने आज कहा, गुलफिशा फातिमा के फैसले को लेकर हमें गंभीर आपत्तियां हैं। कोर्ट ने कहा, खालिद के फैसले से कोर्ट ने नजीब फैसले का ध्यान नहीं रखा, जो कहता है कि किसी को भी अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। गुलफिशा फातिमा बनाम स्टेट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तीन न्यायाधीशों की बड़ी बैंच के उस फैसले को ध्यान में नहीं रखा,जो बैंच ने भारत सरकार बनाम के ए नजीब के मामले में दिया था कि अगर ट्रायल में देरी हो रही हो तो यूएपीए जैसे कठोर कानूनों में बेल देने का आधार बनता है।

कोर्ट ने आज यह भी कहा कि "अनलॉफुल ऐक्टिविटीज़ (प्रीवेन्शन) एक्ट (यूएपीए) 1967 के तहत मामलों में भी जमानत होना नियम होना चाहिए और केवल इसलिए कि आरोपी को इस सख्त आतंकवाद विरोधी कानून के तहत बुक किया गया है, शीघ्र न्याय का अधिकार बाधित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा, "धारा 43डी (5) यूएपीए का वैधानिक प्रतिबंध सीमित रहना चाहिए और यह संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की गारंटी के अधीन होना चाहिए। इसलिए, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि कानून के तहत जमानत नियम है और जेल असाधारण स्थिति। निश्चित रूप से, उपयुक्त मामले में, जमानत विशेष तथ्यों के आधार पर अस्वीकृत की जा सकती है।

कोर्ट ने जम्मू और हाई कोर्ट के निर्णय से असहमति जताई, जिसने वर्तमान मामले में आरोपी के निरंतर कारावास को न्यायसंगत ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्णयों के कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है।

कोर्ट ने कहा, "नजीब और शेख जावेद इकबाल के मामलों से जो कानूनी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीट लीक में लातूर का कोचिंग संस्थान मालिक गिरफ्तार

- सीबीआई के अनुसार प्रोफेसर मोटेगांवकर के संस्थान व घर पर रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक मिला।

नई दिल्ली, 18 मई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई ने लातूर के आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। यह संस्थान नीट की तैयारी कराने वाला बड़ा नेटवर्क है, जिसकी नौ शाखाएं हैं।

सीबीआई ने बताया कि तलाशी के दौरान मोटेगांवकर के संस्थान और घर से रसायन शास्त्र का प्रश्न बैंक मिला, जिसमें वही सवाल थे, जो 3 मई को हुई परीक्षा में पूछे गए थे। एजेंसी ने पिछले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने 80 फीट सड़क के दोनों तरफ 25-25 फीट भूमि खाली रखने को कहा, जिला प्रशासन ने वैध काबिजों को भी दे डाले नोटिस

झुंझुनूं जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट में पेश पालना रिपोर्ट में खुद माना गया कि, जिन्हें नोटिस दिए गए हैं, वे कानूनी रूप से काबिज हैं

- उधर जिन पीड़ितों को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के नोटिस मिले हैं, वे भी अपना पक्ष लेकर हाईकोर्ट पहुंचे।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दायर जनहित याचिका पर करीब 7 साल बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मार्च 2026 में आदेश दिए थे कि 188 अतिक्रमियों को हटाया जाए। परंतु अदालत ने पीआईएल में मांगी गई राहत से आगे बढ़ते हुए यह भी आदेश दिए कि 80 फीट रोड पर सड़क के दोनों तरफ 25-25 फीट की भूमि रिक्त रखी जाए।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 18 मई। झुंझुनूं के गुढ़ा गौड़जी गांव के बीच से निकल रहे 80 फीट चौड़े स्टेट हाईवे के किनारे बसे लोगों को जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय ने अतिक्रमण मानते हुए नोटिस थमा दिए हैं। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की आड़ में उन लोगों को भी नोटिस थमा दिए, जो कानूनी रूप से जमीन पर काबिज थे। दरअसल इस मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर वर्ष 2019 में सुरेन्द्र कुमार की ओर से जनहित याचिका दायर हुई थी, जिस पर 18 मार्च 2026 को हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और न्यायाधीश बलविंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फाहद हुसैन पैरवी के लिए पेश हुए थे।

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि 80 फीट रोड पर 188 अतिक्रमण हटाएं जाए, जिनमें से 185 अस्थायी हैं। परंतु अदालत ने जनहित याचिका में मांगी गई राहत से आगे बढ़ते यह भी आदेश दिए वि 80 फीट रोड पर सड़क के दोनों तरफ 25-25 फीट की भूमि रिक्त रखी जाए। अदालत के इस आदेश की पालना में जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय ने बिना जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया अपनाए ही, सड़क किनारे काबिज लोगों के मकान-दुकानों को अतिक्रमण मानते हुए 15 दिन में तोड़ने के नोटिस भी दे डाले।

यह हैरतअंगेज मामला सोमवार को हाईकोर्ट में तब सामने आया, जब झुंझुनूं जिला प्रशासन व निकाय की ओर से अदालती आदेशों की पालना रिपोर्ट पेश की गई। उधर जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, वे भी पीड़ित बनकर हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। पीड़ितों के एक पक्ष की ओर से स्वदीप सिंह हूरा तथा दूसरे पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम एम रंजन पेश हुए।

जिला प्रशासन की ओर से पेश रिपोर्ट में खुद माना गया है कि हाईकोर्ट में पहुंचे पीड़ित महावीर प्रसाद गोयल की भूमि खसरा नंबर 1062/620 पर स्थित है। वे इस जमीन पर कानूनी रूप से काबिज हैं। वर्ष 1967 में यह भूमि महावीर प्रसाद की माताजी ने खरीदी थी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सतीशन ने केरल के मु.मंत्री पद की शपथ ली

- सतीशन के साथ 20 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से 5 मंत्री आईयूएमएल के हैं।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 18 मई। वी.डी. सतीशन ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें शपथ दिलाई।

आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम के संवाददाता के अनुसार, मुख्यमंत्री सहित 21 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की।

नई सरकार में 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नए कैबिनेट में 11 प्रतिनिधि हैं। भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग के पांच मंत्री हैं।

इस कार्यक्रम में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)